न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/61/2021	2021/177	08-10-2021	30-06-2022

01– छोटेलाल पुत्र जयमल जाति गुर्जर,
02– बालचंद पुत्र जयमल जाति गुर्जर,
03– खेतराम जयमल जाति गुर्जर,
04– श्योराम जयमल जाति गुर्जर
05– लीलाराम पुत्र ओमकार पौत्र जयमल जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम जलालपुर तहसील बहरोड जिला अलवर। (राजस्थान) –अपीलांट्स

बनाम

01– तहसीलदार बानसूर जिला अलवर। (राजस्थान) –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बानसूर दिनांक 22.03.2000 नामान्तकरण संख्या 246 वाके ग्राम बसाई चौहान तहसील बानसूर

उपस्थितः–
01–श्री देवेन्द्र यादव –वकील अपीलान्ट
01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.03.2000 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 246 वाके ग्राम बसाई चौहान तहसील बानसूर अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 249 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा न0 275 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम बसाई चौहान तहसील बानसूर जिला अलवर कायम किये गये। आराजी में से महादेव पुत्र देवी सहाय ब्राहमण निवासी बसाई जोगियान 1/3 भाग का खातेदार था, महादेव से अपीलान्टान ने उसके 1/3 भाग में से 1/2 भाग अपीलान्टान ने जर्ये बयनामा दिनाक 08.09.1993 प्रतिफल अदा कर व मौके पर कब्जा प्राप्त कर खरीद किया। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टान का कब्जा नही मानते हुए नामान्तकरण संख्या 246 वाके ग्राम बसाई चौहान तहसील बानसूर दिनांक 22.03.2000 को खारिज कर दिया गया। दिनाक 28.01.2021 को अपीलान्टान पटवारी हल्का से केडिट कार्ड के सिलसिले में मिले तो बताया कि तुम्हारा नाम रिकार्ड में नही है। क्योकि तुम्हारे नाम नामान्तकरण मंजूर नही हुआ, बल्कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

खारिज कर दिया गया। जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया गया नकल प्राप्त कर तारीख जानकारी से यह अपील अंदर अवधि पेश है। अपील पेश करने में जो देरी हुई वह अपीलान्टान को नामान्तकरण खारिज होने की जानकारी नही होने के कारण हुई है, जो कि नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद कानून का पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 22.03.2000 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 246 वाके ग्राम बसई चौहान तहसील बानसूर विधिवत मुताबिक बयनामा के दर्ज व जॉच कर निर्णय दिनांक 22.03.2000 पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील अपीलाण्ट व विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने यह अपील तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2000 के विरूद्ध दिनांक 18.03.2021 को न्यायालय को पेश की है, जो करीब 20 वर्ष के पश्चात पेश की है, जबकि विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है। किन्तु प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम में वर्णित आधार प्रर्याप्त है, जिन पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है, जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, आराजी खसरा न0 249 रकबा 1 बीधा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा न0 275 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम बसई चौहान तहसील बानसूर जिला अलवर कायम किये गये। आराजी का बेचान जरिर्ये बयनामा महादेव पुत्र देवी सहाय द्वारा अपीलान्ट को दिनाक 08.09.1993 को हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 246 दिनाक 11.09.1998 को खोला गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख था, कि महादेव का हिस्सा 1/6 वर्तमान में है, और 1/6 हिस्से का ही बेचान हुआ है। बयनामा में यह उल्लेख किया गया है, कि केता का कब्जा मौके पर हल चलाकर दिया है, जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण में तहसीलदार बानसूर द्वारा मुताबिक रिपोर्ट मौके पर कब्जा न होने का उल्लेख करते हुए नामान्तकरण खारिज किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली में कब्जे बाबत कोई भी रिपोर्ट संलग्न नही है। अपीलाधीन आदेश 22.03.2000 पारित किया जबकि पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 11.09.1994 को ही नामान्तकरण खोला जा चुका था, विलम्ब के बारे में कोई उल्लेख नही किया अपील के साथ अपीलाधीन आदेश की सत्यप्रति में भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में हिस्से में भिन्नन्ता का उल्लेख है, जबकि मूल आदेश में ऐसा कोई उल्लेंख नही है, उपयुक्त तथ्यो के आधार पर अपील अपीलान्ट आशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलाण्ट आशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनाक 22.03.2000 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, की जाती है, उपयुक्त विश्लेषण के क्रम में पुन जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को उनके रिकार्ड के साथ मिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जमा रिकार्ड हो।

आज दिनांक 30.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0जिला कलक्टर प्रथम
अलवर(राजस्थान)